

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क्रमांक / 5332 भू-अर्जन / 2025

कोरबा, दिनांक 25/04/2025

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

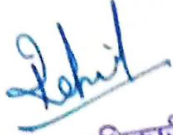
भूमि का वर्णन :-

1. जिला : कोरबा
2. तहसील : दीपका
3. ग्राम/नगर : अखरापाली
4. भूमि का क्षेत्रफल: 2.897 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
324/1	0.277 ✓	360/1	0.150 ✓
324/3	0.070 ✓	359	0.075 ✓
323/2	0.024 ✓	357/2	0.218 ✓
323/3	0.072 ✓	388/3	0.104 ✓
334/3	0.185 ✓	388/4	0.068 ✓
334/4		389/2	0.061 ✓
335	0.034 ✓	389/1	0.070 ✓
333/1		391	0.056 ✓
338/1	0.174 ✓	397	0.165 ✓
336	0.075 ✓	402/1	0.090 ✓
347	0.183 ✓	402/2	0.140 ✓
345/1	0.089 ✓	337	0.190 ✓
346/1			
345/3	0.101 ✓	386	0.194 ✓
346/2			
348/1	0.032 ✓	-	-
345/4			
346/3	0.032 ✓	-	-
348/2			
360/2	0.032 ✓	-	-
योग :-	कुल खसरा नं. - 33, कुल रकबा - 2.897 हे.		


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनन्त वसंत)
कलेक्टर,
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग